

बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

संचिका संख्या-पि0व0/विविध-25-01/2022- 649.

दिनांक- 16/03/2022

संकल्प

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 से राज्य योजनान्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना में प्रबंधन प्रवेश परीक्षा यथा- कैट, मैट आदि तथा प्रबंधन से संबंधित रोजगार परक (Job oriented) प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी एवं चाणक्या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में विधि पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा यथा- क्लैट तथा न्यायिक सेवाओं की निःशुल्क तैयारी कराने हेतु "मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजना" संचालित करने, योजना हेतु दिशा-निर्देश, पदों के सृजन एवं योजना पर होने वाले वार्षिक व्यय रू0 45,69,400/- (रू0 पैंतालीस लाख उनहत्तर हजार चार सौ) मात्र की स्वीकृति।

1. वर्तमान में प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण योजना अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को यू0पी0एस0सी0/बी0पी0एस0सी0 एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क कराने के उद्देश्य से राज्य के सभी 38 जिलों में प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र स्वीकृत है।

2. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रबंधन प्रवेश परीक्षा यथा-कैट, मैट आदि तथा प्रबंधन से संबंधित रोजगार परक (Job oriented) प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी एवं विधि पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा यथा- क्लैट तथा न्यायिक सेवाओं की तैयारी कराये जाने हेतु कोई योजना संचालित नहीं है।

3. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना में प्रबंधन प्रवेश परीक्षा यथा-कैट, मैट आदि तथा प्रबंधन से संबंधित रोजगार परक (Job oriented) प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी एवं चाणक्या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एवं अन्य विधि विश्वविद्यालयों में विधि पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा यथा- क्लैट तथा न्यायिक सेवाओं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी निःशुल्क कराये जाने के उद्देश्य से "मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजना" शुरू किये जाने का प्रस्ताव पर विचार किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के मेधावी छात्र/छात्राओं को राज्य के शीर्ष संस्थानों के निर्देशन में प्रबंधन प्रवेश परीक्षा एवं प्रबंधन सेवा की तैयारी तथा विधि प्रवेश परीक्षा एवं विधि सेवा की तैयारी निःशुल्क कराया जाना है।

4. अतः सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि:-

वित्तीय वर्ष 2021-22 से राज्य योजनान्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना में प्रबंधन प्रवेश परीक्षा यथा- कैट, मैट आदि तथा प्रबंधन से संबंधित रोजगार परक (Job oriented) प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी एवं चाणक्या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में विधि पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा यथा- क्लैट तथा न्यायिक सेवाओं की निःशुल्क तैयारी कराने हेतु "मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजना" संचालित करने तथा निम्नांकित कंडिका के अनुसार योजना हेतु दिशा-निर्देश, पदों के सृजन एवं योजना पर होने वाले वार्षिक व्यय रू0 45,69,400/- (रू0 पैंतालीस लाख उनहत्तर हजार चार सौ) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

योजना के संबंध में निर्धारित दिशा-निर्देश एवं संक्षिप्त टिप्पणी निम्नवत् है :-

(क) केन्द्र का वार्षिक कार्यक्रम:- प्रत्येक केन्द्र पर 60-60 विद्यार्थियों के दो-दो बैच (प्रशिक्षण अवधि 6-6 माह) संचालित कराये जायेंगे। इस प्रकार एक वर्ष में एक केन्द्र पर 240 विद्यार्थियों को अर्थात् कुल 2 केन्द्रों पर 480 विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करायी जाएगी।

(ख) कार्यान्वयन एजेंसी:-चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना तथा चाणक्या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में "मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केन्द्र"का संचालन संबंधित जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी एवं इसका पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना के द्वारा किया जायेगा।

(ग) पात्रता:-

(i) उक्त कार्यक्रम के लिए कुल उपलब्ध आसन में से 40%(24 आसन) पिछड़ा वर्ग तथा 60%(36 आसन) अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए अनुमान्य होंगे, उपर्युक्त दोनों कोटि में छात्राओं के लिए 33 प्रतिशत शैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। किसी एक कोटि के छात्र/छात्राओं की अनुपलब्धता की स्थिति में दूसरे कोटि के छात्र/छात्राओं का नामांकन किया जा सकता है।

(ii) छात्र/छात्रा की आयु सीमा एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता के अनुरूप होनी चाहिए।

(iii) बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।

(iv) जाति-पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत होना चाहिए।

(v) छात्र/छात्रा की वार्षिक आय अधिसीमा (माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय सहित) राज्य में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित वार्षिक आय अधिसीमा के अनुरूप रु० 3,00,000/- (रु० तीन लाख) होनी चाहिए।

(घ) प्रशिक्षण अवधि :- प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम की अधिकतम अवधि 6 माह की होगी।

(ङ) उपर्युक्त कंडिका-(क) से (घ) के अन्तर्गत उल्लेखित दिशा-निर्देश में समय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन माननीय विभागीय मंत्री के अनुमोदन से किया जा सकता है।

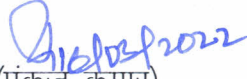
(च) स्वीकृत केन्द्र का व्यय :-

क्रमांक	पद का नाम	प्रति केन्द्र पद की संख्या	प्रति केन्द्र मानदेय पर होने वाली वार्षिक व्यय की राशि	प्रति केन्द्र व्यय की राशि	केन्द्रों की संख्या	कुल वार्षिक व्यय की राशि	अभ्युक्ति
(क) आवर्ती व्यय							
1	निदेशक	1	रु० 5,000/- प्रतिमाह X 12 माह = रु० 60,000/-	60,000.00	2	1,20,000.00	प्रतिनियुक्ति के आधार पर विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षक रहेंगे।
2	शिक्षक	-	रु० 1,000/- प्रति कक्षा X प्रतिदिन 4 कक्षा X 24 दिन X 12 माह = रु० 11,52,000/-	11,52,000.00	2	23,04,000.00	प्रतिनियुक्ति के आधार पर विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षक रहेंगे।
3	कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	रु० 13,225/- प्रतिमाह X 12 माह = रु० 1,58,700/-	1,58,700.00	2	3,17,400.00	संविदा पर।
4	भंडारपाल-सह-लिपिक	1	रु० 15,000/- प्रतिमाह X 12 माह = रु० 1,80,000/-	1,80,000.00	2	3,60,000.00	संविदा पर।
5	कार्यालय उपस्कर मेंटनेन्स	-	(कम्प्यूटर/फोटोकॉपियर / फैक्स/आलमीरा/बुक / सेल्फ/कुर्सी-बेंच इत्यादि के मेंटनेन्स हेतु) रु० 50,000/-	50,000.00	2	1,00,000.00	-
6	कार्यालय व्यय	-	रु० 30,000/- प्रतिमाह X 12 माह = रु० 3,60,000/-	3,60,000.00	2	7,20,000.00	-
7	दूरभाष	-	रु० 2,000/- प्रतिमाह X 12 माह = रु० 24,000/-	24,000.00	2	48,000.00	-
			कुल योग	19,84,700.00		39,69,400.00	
(ख) अनावर्ती व्यय							
	कम्प्यूटर/फोटोकॉपियर/ फैक्स/आलमीरा/बुक/ सेल्फ इत्यादि के लिए प्रति केन्द्र रु० 3,00,000/- प्रथम वर्ष में।		रु० 3,00,000/- प्रति केन्द्र	3,00,000.00	2	6,00,000.00	
			कुल व्यय (आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय)	22,84,700.00		45,69,400.00	

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-08.03.2022 को मद संख्या-3 में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी एवं कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

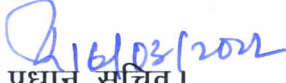

(पंकज कुमार)

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक— पि0व0/विविध-25-01/2022— 649

पटना, दिनांक— 16/03/2022

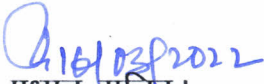
प्रतिलिपि—हस्ताक्षरित प्रति अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं विभाग को 1500 अतिरिक्त प्रतियां भेजने हेतु अग्रसारित।


प्रधान सचिव।

ज्ञापांक— पि0व0/विविध-25-01/2022— 649

पटना, दिनांक— 16/03/2022

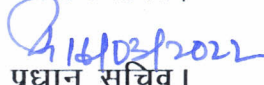
प्रतिलिपि— हस्ताक्षरित प्रति प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग को हार्ड कॉपी (दो प्रति) एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


प्रधान सचिव।

ज्ञापांक— पि0व0/विविध-25-01/2022— 649

पटना, दिनांक— 16/03/2022

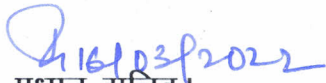
प्रतिलिपि— महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


प्रधान सचिव।

ज्ञापांक— पि0व0/विविध-25-01/2022— 649

पटना, दिनांक— 16/03/2022

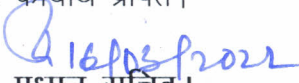
प्रतिलिपि— मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त बिहार, सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/सभी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


प्रधान सचिव।

ज्ञापांक— पि0व0/विविध-25-01/2022— 649

पटना, दिनांक— 16/03/2022

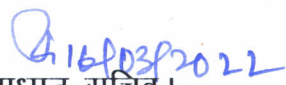
प्रतिलिपि— विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद के बैठक के मद संख्या-3, दिनांक-08.03.2022 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


प्रधान सचिव।

ज्ञापांक— पि0व0/विविध-25-01/2022— 649.

पटना, दिनांक— 16/03/2022

प्रतिलिपि— प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रधान सचिव।

ज्ञापांक— पि0व0/विविध-25-01/2022- 649. पटना, दिनांक— 16/03/2022
प्रतिलिपि— निदेशक, चाणक्या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पटना/मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी,
चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



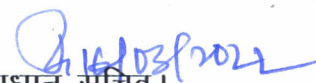
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक— पि0व0/विविध-25-01/2022- 649 पटना, दिनांक— 16/03/2022
प्रतिलिपि— माननीय उपमुख्य (पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण) मंत्री के आप्त सचिव को
सूचनार्थ प्रेषित।



प्रधान सचिव।

ज्ञापांक— पि0व0/विविध-25-01/2022- 649 पटना, दिनांक— 16/03/2022
प्रतिलिपि— आई0टी0मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को
विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



प्रधान सचिव।